निबंधन संख्या पी०टी०-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष 1935 (श०)
(सं० पटना 1) पटना, बुधवार, 1 जनवरी 2014

निर्वाचन विभाग

अधिसूचनाएं
27 दिसम्बर 2013

सं0 ई2–46/2003 (खंड–1)–61——भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल, बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:– (1) यह नियमावली 'बिहार निर्वाचन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2013' कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली, 2006 का नियम– 4 का उप–नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–
   "4 (2) संवर्ग –बल। – अवर निर्वाचन पदाधिकारी :–
   (क) प्रत्येक अनुमंडल मे अवर निर्वाचन पदाधिकारी का एक पद होगा।
   (ख) अवर निर्वाचन पदाधिकारी के चार पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय में होंगे, जिनमें से एक पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सचिव के रूप में चिन्हित रहेगा।
   (ग) अवर निर्वाचन पदाधिकारी के आठ पद अवकाश एवं प्रशिक्षण रक्षित पद के रूप मे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के कार्यालय में होंगे।

   उप निर्वाचन पदाधिकारी :–
   (घ) जिला स्तर पर प्रत्येक जिला मे एक उप निर्वाचन पदाधिकारी का पद होगा।
   (ङ) उप निर्वाचन पदाधिकारी के चार पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के कार्यालय मे होंगे।

   उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी :–
   (च) प्रत्येक प्रमंडल मे प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय मे एक पद उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का होगा।
   (छ) उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के तीन पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में होंगे।
3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 के उप–नियम (2) एवं (3) निम्नलिखित द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किया जायेंगे:–
   "(2) उप निर्वाचन पदाधिकारी के सभी पद अवर निर्वाचन पदाधिकारी की प्रोन्नति के द्वारा भरे जायेंगे।
   (3) उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सभी पद उप निर्वाचन पदाधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा भरें जायेंगे।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के उप–सचिव।

31 दिसम्बर 2013

सं0 ई2–46/2003 (खंड–1)–62—अधिसूचना संख्या 61–सह–पठित ज्ञापांक 6368 दिनांक 27.12.2013 द्वारा संसूचित अंग्रेजी अनुवाद एतद् द्वारा बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के उप–सचिव।

The 27th December 2013

No. E2-43/2003 (Part-1)-61—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for amendment in Bihar Election Service Rules, 2006.

1. **Short title, extent and commencement** – (1) This Rule shall be called The Bihar Election Service (Amendment) Rules, 2013.
   (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.
2. Sub-rule (2) rule 4 of the said Rules, 2006 shall be substituted by the following–
   " (2) Cadre Strength:- **Sub Election officer:**
   (a) There shall be one post of Sub Election Officer in each Sub Division.
   (b) Four Posts of Sub Election officers shall be at the office of Chief Electoral Officers Bihar Patna, out of which one Post shall be earmarked as Secretary to the Chief Electoral officers in Bihar.
   (c) Eight Posts of Sub Election officers shall be at the office of Chief Electoral officer Bihar Patna as leave reserve and Training Post.

   Deputy Election officer:-
   (d) At District level, there shall be one Post of Deputy Election officer in each District.
   (e) Four Posts of Deputy Election officers shall be at the office of Chief Electoral officers Bihar Patna.

   Deputy Chief Electoral officer:-
   (f) At Division level, there shall be one Post of Deputy Chief Electoral officer at the office of Divisional Commissioner.
   (g) Three posts of Deputy chief electoral officers shall be at the office of chief Electoral officer Bihar, Patna.
3. Sub-rule (2) and (3) of Rule 5 of the said Rule 2006 shall be substituted by the following respectively.—
   " (2) All Posts of Deputy Election Officer shall be filled up by promotion of Sub Election Officers.
   (3) All Posts of Deputy Chief Electoral Officer shall be filled up by promotion of Deputy Election Officers".

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR,
Deputy Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in